फा.सं. 13011/4/2018-सीबीए2

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 07 मार्च, 2019

<u>आदेश</u>

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत खुले बाजार में आरओएम आधार पर वास्तविक उत्पादन का 25% तक बेचने के लिए विनिर्दिष्ट अन्त्य-उपयोग या स्वयं की खपत हेतु कोयला खानों के आवंटितियों को अनुमति देने के लिए कार्यपद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों, इसके तहत बनाये गए नियमों और विनिर्दिष्ट अन्त्य-उपयोगों अर्थात् विद्युत (विनियमित क्षेत्र) और गैर-विनियमित क्षेत्र [सीमेंट, लौह एवं इस्पात और कैप्टिव विद्युत उत्पादन को एनआरएस के रूप में संयोजित करके] के लिए भारत सरकार द्वारा कोयला खानों के आवंटन हेतु दिनांक 26.12.2014 की कार्यपद्धति का अवलोकन करने का निदेश हुआ है।

2. विनिर्दिष्ट अन्त्य-उपयोग के लिए दिनांक 26.12.2014 की कार्यपद्धति में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, यह तय किया गया है कि विनिर्दिष्ट अन्त्य-उपयोग संयंत्रों में वास्तविक उत्पादन के न्यूनतम 75% (आरओएम आधार पर) का उपयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट अन्त्य-उपयोग या स्वयं की खपत के लिए और निम्नलिखित पैरा 3 में यथा-उल्लिखित इस प्रकार की बिक्री पर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के साथ खुले बाजार में वास्तविक उत्पादन के 25% (आरओएम आधार पर) तक बेचने की कोयला खानों के भावी आवंटितियों को अनुमति दी गई है:

3. कैप्टिव उपयोग की परिभाषा - आवंटिती द्वारा कोयले का उपयोग

3.1 विशिष्ट अन्त्य उपयोग अथवा स्वयं की खपत के लिए निर्धारित कोयला खानों के मामले में, आबंटिती को विशिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्रों में वास्तविक उत्पादन (आरओएम आधार) के कम से कम 75% का उपयोग करने का अधिदेश है तथा खुले बाजार में 25% तक विक्रय करने की अनुमति है। नीलामी के मामले में, सफल बोलीदाता को खुले बाजार में बेचे गए कोयले की वास्तविक मात्रा के लिए प्रति टन आधार पर अपने अंतिम बोली मूल्य के 15% का अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। अतिरिक्त प्रीमियम अंतिम बोली मूल्य से अधिक होगा। आवंटन के मामले में, सफल आवंटिती को खुले बाजार में बेचे गए कोयले की वास्तविक मात्रा

के लिए आरक्षित मूल्य का 15% अतिरिक्त आरक्षित मूल्य देना होगा। अतिरिक्त आरक्षित मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगा।

3.2 यदि रख-रखाव या शटडाउन या आवंटिती के नियंत्रण से परे ऐसे अन्य अपरिहार्य कारणों से, वर्ष के किसी भी हिस्से के दौरान, आवंटिती विनिर्दिष्ट अन्त्य-उपयोग संयंत्र या स्वंय की खपत में न्यूनतम 75% वास्तविक उत्पादन (आरओएम आधार पर) का उपयोग करने में सक्षम नहीं है तो वास्तविक उत्पादन के ऐसे 75% में से आधिक्य कोयले की बिक्री आवंटिती द्वारा अनिवार्य रुप से सीआईएल को, सीआईएल द्वारा अधिसूचित मूल्य से 15% कम मूल्य पर की जाएगी।

3.3 यह प्रस्ताव छठे और सातवें दौर में कोयला खानों की नीलामी के लिए लागू होगा, जिसके लिए 25.10.2018 को एनआईटी जारी की गयी थी और चौथे तथा पांचवें दौर में खानों के आवंटन के लिए तथा भावी आवंटनों (नीलामी / आवंटन) के लिए एनआईए 11.06.2018 को जारी की गयी थी।

4. पैरा 3 में निहित प्रावधान कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित की जाने वाली कोयला खानों के साथ-साथ और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयला खानों के आवंटन पर भी लागू होंगे।

5. दिनांक 12.10.2018 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2.6 को उपर्युक्त पैरा 3 में यथा-विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित किया गया है।

(रिशान रिंताथियांग)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23073936

सेवा में,

1. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय
2. जेएस (सीबीए-II), कोयला मंत्रालय
3. जेएस (सीबीए-I), कोयला मंत्रालय
4. डीएस (सीबीए-II), कोयला मंत्रालय
5. डीएस (एनए), कोयला मंत्रालय
6. डीएस (सीबीए-I), कोयला मंत्रालय

प्रतिलिपि:

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव
2. कोयला राज्य मंत्री के निजी सचिव
3. सचिव (कोयला) के पीएसओ
4. एएस (कोयला) के पीपीएस
5. जेएस (आरकेएस) के पीपीएस / जेएस (बीपीपी) के पीपीएस / जेएस (एयू) के पीएस
6. निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय
7. निदेशक (सीएलडी), कोयाल मंत्राला